क्रमांक एवं आदेश की तिथि	**अपर उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज** **राजस्व विविध वाद सं० – 69/2011-12** मुस्तफा शेख – अपीलार्थी –बनाम– अनारूल शेख पत्नी रेखा बीवी एवं अन्य – उत्तरवादी	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
१	२	३
24.07.2024	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष से वकालतनामा हाजरी। प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी ,राजमहल द्वारा नामान्तरण वाद सं0 – 538/2001–02 अनारूल शेख –बनाम– आगीर शेख, दिनांक – 16.01.2002 के आदेश के विरूद्व भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता ,राजमहल में म्यूटेशन अपील सं0 – 03/2002–03 (मुस्तफा शेख –बनाम– अनारूल शेख) में आवेदक के आवेदन को दिनांक – 12.08.2003 में दिये गये नामान्तरण अपील को अस्वीकृत करने के विरूद्व दिनांक – 11.09.2003 को उपायुक्त ,साहेबगंज के न्यायालय में अपील दायर किया गया। – उपायुक्त न्यायालय साहेबगंज से दिनांक ' 12.01.2012 को अपर उपायुक्त, न्यायालय ,साहेबगंज में अभिलेख निष्पादन हेतु स्थानान्तरण किया गया। उक्त प्राप्त अभिलेख को पंजीकृत करते हुए उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस तामिला प्रतिवेदन के आधार पर उभय पक्षों के द्वारा विभिन्न तिथियों पर उपस्थिति दर्ज किया गया एवं वाद की कार्यवाही प्रारंभ की गई। अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा उक्त वाद से संबंधित लिखित बहस या दलील प्रस्तुत नहीं किया गया। – उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के दौरान लिखित बहस समर्पित किया गया। जिसके अनुसार मौजा सरफराजगंज के जमाबंदी नं0 – 992 का खतियानी रैयत दो व्यक्ति को बताया गया। जबकि खतियानी रैयत तीन है। जिनमें झुमरदी शेख, युसुफ शेख एवं इमाम शेख । उपरोक्त जमाबंदी में दाग नं0 – 2214 एवं दाग नं0 – 2215 में झुमरदी शेख एवं युसुफ शेख का संयुक्त दखल खतियान के अभियुक्ति कॉलम में दिखलाया गया है। दोनों दागों का रकवा – 13 कट्ठा 06 धूर जमीन है विपक्षी झुमरदी शेख के पोता है, तथा युसुफ शेख को तीन बेटी अरजान, जुबेदा एवं तोता बीवी थी। आवेदक खतियानी रैयत इमाम शेख के उत्तराधिकारी है। दाग नं0 – 2214 में झुमरदी शेख एवं युसुफ शेख का मकान मय है जैसा कि पर्चा के कैफियत कॉलम में दर्ज है। झुमरदी शेख का एक मात्र पुत्र कुढान शेख एवं कुढान शेख का बेटा उत्तराधिकारी अनारूल शेख है। खतियानी रैयत युसुफ शेख	

Scanned with OKEN Scanner

की बेटी तोता बीवी का लड़का अमीर शेख अपनी माँ के मरने के बाद अपने हिस्से का जमीन निबंधित केवाली सं0 – 1704 , दिनांक – 22.03.2004 द्वारा रकवा 01 कट्ठा 04 धूर जमीन विपक्षी अनरूल शेख को बेच दिया।

अनारूल शेख इस जमीन का 2001–02 में नामान्तरण करा लिया। अनारूल शेख के पिता – कुढान शेख ने निबंधित केवाला सं0 – 1368/दिनांक – 21.02.1993 के द्वारा 04 कट्ठा 10 धूर जमीन, दाग नं0 – 2214 के हिस्से की जमीन अपने बेटे को बेचा जिसका नामान्तरण 1993 में करा लिया जिसमें रकवा 15 धूर जमीन उत्तरवादी अनारूल शेख को बेच दिया। शेष 03 कट्ठा 15 धूर का पंजी II में दर्ज है । अंचल अधिकारी ने 16 आना रैयत को नियमतः नोटिस किया जिसमें आपत्ति की गई इसके बाद ही नामान्तरण किया गया इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है। प्रस्तुत जमीन का लगान दिया जा रहा है।

अपीलार्थी आवेदक ने जाली अनिबंधित केवाला के आधार पर तोता बीबी से खरीदने का दावा करता है जो गलत है। उत्तरवादी का निबंधित केवाला सं0 – 1704/94 यदि गलत था तो इसके रद्द् करने का मुकदमा सिविल कोर्ट में दायर करना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अंचल अधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में दखल एवं दस्तावेज के आधार पर उत्तरवादी अनारूल के पक्ष में प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर नामान्तरण किया गया है। अतः महोदय से अनुरोध है कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल का आदेश बिलकुल सही है अपीलार्थी के आवेदन को खारिज करने की कृपा की जाय।

अपीलार्थी के अनुपस्थित रहने एवं उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता के लिखित बहस में मौजा सरफराजगंज के जमाबंदी नं0 – 992 का खतियानी रैयत झुमरदी शेख एवं युसुफ शेख के नाम खतियान में दर्ज है।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं उनके द्वारा लिखित बहस एवं अभिलेख में उपलब्ध कराये गये कागजातों का अध्ययन किया।

अतएव ऐसी स्थिति में अंचल अधिकारी, राजमहल द्वारा नामान्तरण वाद सं0 – 538/2001–02 एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता राजमहल में म्यूटेशन अपील सं0 – 03/2002–03 के आदेश को बरकरार रखते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर उपायुक्त,
साहेबगंज।

Digitally signed by Gautam Kumar Bhagat
Date: 2024.12.17 16:13:56 +05:30
Location: 192.168.3.141

अपर उपायुक्त,
साहेबगंज।

Scanned with OKEN Scanner